

बिहार सरकार  
भवन निर्माण विभाग।

प्रेषक,

**राजेश कुमार सिंह,**  
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

**मुख्य महाप्रबंधक,**  
बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, पटना/  
**सभी कार्यपालक अभियंता,**  
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक:- 20/1/26

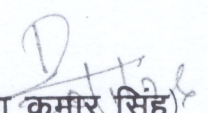
विषय:- विधि विभाग से संबंधित केन्द्र प्रायोजित योजना-न्यायिक आधारभूत अवसंरचना सुविधाओं का विकास के निमित्त निर्माण कार्यो हेतु केन्द्रांश एवं राज्यांश मद में उपलब्ध करायी गयी राशि के विरुद्ध उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विधि विभाग से संबंधित केन्द्र प्रायोजित योजना-न्यायिक आधारभूत अवसंरचना सुविधाओं का विकास के निमित्त निर्माण कार्यो हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2025-26 में केन्द्रांश एवं राज्यांश मद में आवंटित की गयी राशि के विरुद्ध विधि विभाग द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र की मांग की गयी है। SNA Module एवं SNA SPARSH Module अंतर्गत केन्द्रांश एवं राज्यांश मद में व्यय की गयी राशि का वर्षवार उपयोगिता प्रमाण पत्र अलग अलग उपलब्ध कराया जाना है।

अतः अनुरोध है कि उक्त कार्य हेतु विभाग द्वारा आवंटित की गयी राशि के विरुद्ध उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित अभिलेखों के साथ 24 घंटा के अन्दर विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन

  
(राजेश कुमार सिंह)  
सरकार के अपर सचिव।  
